प्रतिवेद्य

समक्ष भारतीय सर्वोच्च न्यायालय सिविल अपीलीय न्यायक्षेत्र

सिविल अपील संख्या 1918/2020

रमेश सिंह		अपीलार्थी
	बनाम	
उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य		प्रत्यर्थी

<u>निर्णय</u>

न्यायमूर्ति, इंदु मल्होत्रा

अनुमति प्रदान की गई।

1. अपीलार्थी को जनवरी 2003 में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला बस्ती के रूप में नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर प्रभारी थे, जब उन्होंने बी.एड्. की डिग्री रखने वाले 400 उम्मीदवारों को जिला गोरखपुर में बेसिक स्कूलों (प्राथमिक स्कूलों) में

<u> उद्घोषणा</u>

और अप्रैल से जून 2003 के दौरान जिला बस्ती में 121 उम्मीदवारों को सहायक शिक्षकों के पद के लिए नियुक्ति पत्र जारी किए।

2. राज्य ने कार्यालय आदेश 24.07.2003 दिनांकित के माध्यम से अपीलकर्ता को निलंबन के अधीन रखा, और उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1999 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक/विभागीय जांच के निर्देश दिए। राज्य ने संयुक्त निदेशक, बेसिक शिक्षा को जांच अधिकारी नियुक्त किया।

आरोप-पत्र 21.08.2003 को दायर किया गया था जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि अपीलार्थी द्वारा की गई सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां अनियमित थीं, क्योंकि वे उ.प्र. बेसिक शिक्षा (शिक्षक) सेवा नियम, 1981 ("1981 नियम") के नियम 16 और 19 (3) का उल्लंघन कर रहे थे।

3. अपीलकर्ता ने दिनांक 09.11.2003 को आरोप-पत्र पर अपना जवाब प्रस्तुत किया और अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया। यह तर्क दिया गया था कि नियुक्तियां उनके द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा पारित पूर्व के आदेशों और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के अनुपालन में की गई थीं।

[&]quot;क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

- 4. जांच अधिकारी ने अपीलकर्ता को आरोप पत्र में उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों का दोषी पाया। दिनांक 19.06.2004 को जांच अधिकारी की रिपोर्ट अनुशासनात्मक प्राधिकरण को भेज दिया गया।
- 5. अपीलकर्ता ने निलंबन के आदेश को रिट याचिका (सी) 52287/2005, के माध्यम से चुनौती दी, जिसमें उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश दिनांक 28.07.2005 के माध्यम से निलंबन के आदेश पर रोक लगा दी।
- 6. रिट याचिका के लंबन के दौरान, उप सचिव बेसिक शिक्षा विभाग ने आदेश दिनांकित 10.01.2006 के माध्यम से सेवा से हटाने का दण्ड प्रस्तावित किया।

अपीलार्थी ने आदेश दिनांकित 10.01.2006 को रिट याचिका (सी) सं. 14083/2006 दायर करते हुए चुनौती दी, जिसमें अंतरिम आदेश दिनांकित 08.03.2006 के माध्यम से उच्च न्यायालय ने प्रस्तावित सजा के उपरोक्त आदेश पर स्टे का निर्देश दिया।

7. जांच आख्या के आधार पर, सरकार ने उ.प्र. सिविल सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1999 के प्रावधानों के तहत सेवा से निष्कासन की बड़ी सजा देने का फैसला किया और मामले को सरकारी आदेश दिनांकित 17.10.2005 के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा

[&]quot;क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

आयोग को निर्दिष्ट किया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपीलार्थी को 21.12.2006 दिनांकित पत्र के माध्यम से सेवा के दण्ड को मंजूरी दी। सेवा से हटाने का आदेश राज्यपाल द्वारा 21.04.2008 दिनांकित को पारित किया गया था।

- 8. अपीलार्थी ने रिट याचिका (सी) संख्या 28842/2008 में निष्कासन के आदेश को चुनौती दी, जिसमें उच्च न्यायालय ने 20.06.2008 दिनांकित के अंतरिम आदेश के माध्यम से रद्ध कर दिया, जिसमें निर्देशित किया गया कि 21.04.2008 दिनांकित को खारिज किए गए आदेश के संचालन, कार्यान्वयन और निष्पादन पर स्टे रहेगा। अंतरिम आदेश के पश्चातवर्ती, राज्य सरकार ने दिनांक 19.05.2010 को दण्ड के प्रस्तावित आदेश को वापस ले लिया। परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने दिनांक 25.05.2010 को रिट याचिका को इस अवलोकन के साथ खारिज कर दिया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही 6 महीने की अवधि के भीतर अधिमानतः कानून के अनुरूप संपन्न हो सकती है। अपीलार्थी को अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ सहयोग करने के लिए निर्देशित किया गया था।
- 9. अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने जांच रिपोर्ट के साथ एक दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी किया।

अपीलार्थी ने अन्य बातों के साथ -साथ तर्क दिया कि सशर्त नियुक्तियों को न्यायालय के आदेशों के अनुरूप निर्धारित वेतनमान के विरूद्ध

[&]quot;क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

किया गया था, और सरकार से दबाव बनाया गया था। प्रारम्भ से ही की गई सभी नियुक्तियों को शून्य घोषित कर दिया गया। साक्षियों के प्रस्तुतिकरण के माध्यम से सुनवाई और साक्ष्य जोड़ने के किसी भी अवसर के बिना जांच आयोजित की गई थी।

10. अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने अपीलार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति प्रदान की।

अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने अपीलार्थी के विरूद्ध लगाए गए सभी आरोपों को सही पाया और दिनांक 27.06.2017 को सेवा से निष्कासन का आदेश पारित किया।

11. अपीलार्थी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष रिट ए . सं. 31098/2017 के माध्यम से 27.06.2017 दिनांकित के आदेश को चुनौती दी।

उच्च न्यायालय ने 10.05.2018 दिनांकित को लागू किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश के माध्यम से आंशिक रूप से रिट याचिका की अनुमति दी।

उच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि जांच अधिकारी ने यह पता लगाने के लिए कुछ अभिलिखित नहीं किया है कि क्या अपीलार्थी को मौखिक जांच करने की तारीख, समय और स्थान को सूचित करने के लिए नोटिस दिया गया था या नहीं। अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से यह दलील दी थी

[&]quot;क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

कि जांच अधिकारी ने सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया था। दंड के आदेश को पारित करते समय अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए एक वैध जांच की अनिवार्य आवश्यकता की अनदेखी की।

इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने महसूस किया कि अपीलार्थी के इस तर्क पर विचार करना उचित नहीं होगा कि नियुक्तियाँ उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में की गई और उच्च अधिकारियों के निर्देशों का पालन किया गया, चूँकि इसे अभिलेख पर साक्ष्य के सराहना की आवश्यकता होगी।

हालांकि, उच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि जांच अधिकारी पक्षपाती था, जांच अधिकारी की ओर से पक्षपात के किसी भी तत्व को प्रकट करने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं थी।

न्यायालय ने के.सी. भारती जिन्हें एक वर्ष के लिए एक वेतन वृद्धि रोककर, और उनके सेवा लेखपत्र में एक परिनिंदा प्रविष्टि से कम सजा दी गई थी, के मामले के साथ अपीलकर्ता की समानता के विवाद को खारिज कर दिया।

उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि जांच प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में आयोजित की गई थी, इसलिए 27.06.2017 दिनांकित को सेवा से बर्खास्तगी के आदेश को रद्ध कर दिया गया था। मामले को आरोप-पत्र के चरण से नए सिरे से जांच करने के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी को प्रेषित किया गया था। यह निर्देशित किया गया था कि

<u> उद्घोषणा</u>

अपीलार्थी को जांच के दौरान, निलंबन के तहत माना जाएगा और उसे नियमानुसार गुजारा भत्ता दिया जाएगा।

न्यायालय ने आकस्मिक और कठोर तरीके से निंदा किया जिसमें अनुशासनात्मक प्राधिकारियों ने बड़े पैमाने के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की जांच करने का काम किया था जहां विधि की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बगैर अपीलार्थी द्वारा सैकड़ों नियुक्तियां की गई थीं। अनुशासनात्मक प्राधिकरण को एक निर्देश जारी किया गया था कि वह मुख्यमंत्री की मंजूरी के साथ एक जांच अधिकारी की नियुक्त करे, जिसको अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणाम से अवगत कराया जाए।

12. उक्त निर्णय से पीड़ित होकर अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान विशेष अवकाश याचिका दायर की। इस न्यायालय ने आदेश दिनांक 09.07.2018 को नोटिस जारी किया गया कि क्या अपीलार्थी को निलंबन पर जारी रखा जाना चाहिए, और क्या अनुशासनात्मक प्राधिकारी को इस मामले की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देनी चाहिए।

आक्षेपित निर्णय के अनुसरण में, राज्य ने कार्यालय ज्ञापन 11.10.2018 दिनांकित के माध्यम से आरोप-पत्र के चरण से फिर से जांच शुरू करने की मंजूरी प्रदान की।

31.10.2018 दिनांकित को एक और आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने 11.10.2018 को कार्यालय ज्ञाप के संचालन पर रोक लगाने का आदेश दिया।

<u> उद्घोषणा</u>

13. हमने पक्षों के लिए विद्वत अधिवक्ता को सुना, और अभिलेख का परिशीलन किया।

यह मुद्दा जो हमारे विचार के लिए है कि क्या 521 उम्मीदवार, जो सहायक अध्यापकों के पद के लिए बी.एड. डिग्री धारक हैं, को जारी किए गए नियुक्ति पत्र को नियमों के द्वारा नियत अनिवार्य प्रक्रिया का संचालन किया गया।

- 14. अपीलार्थी की तरफ से अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी के निरंतर निलंबन न्यायसंगत नहीं था, और यह कि उसके मुवक्किल ने नियुक्तियों को मा. उच्च न्यायालय के पूर्व के आदेश, और उच्च प्राधिकारियों के निर्देश के अनुरूप भी बनाया गया था।
- 14.1. सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के सभी प्रभागीय सहायक निदेशकों (बेसिक) उ.प्र. को एक पत्र 10.04.2003 दिनांकित पर आभारित किया गया, जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गए आदेशों का अनुपालन किया जाए।
- 14.2. दिनांक 18.4.2003 के पत्र के माध्यम से आगे यह प्रस्तुत किया गया कि, अपीलार्थी उ.प्र. बेसिक शिक्षा निदेशक से विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध कर चुका था, जिनके पास B.Ed./L.T./B.P.Ed./C.P.Ed की योग्यता थी।

[&]quot;क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

- 14.3. दिनांक 21.04.2003 को एक और पत्र द्वारा, अपीलार्थी ने सचिव, बेसिक शिक्षा, उ.प्र. सरकार को सूचित किया, कि जिला गोरखपुर में शिक्षकों के पद रिक्त थे, और सहायक शिक्षकों के पद पर उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए B.Ed./L.T./B.P.Ed./C.P.Ed की योग्यता रखने वाले का कोई प्रावधान नहीं था।
- 14.4. तदोपरान्त अपीलार्थी ने दिनांक 25.04.2003 को एक अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया था कि दिनांक 23.04.2003 को आयोजित मुख्यमंत्री, और बेसिक शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा सचिव, उ.प्र. सरकार के साथ विचार-विमर्श द्वारा का B.Ed./L.T का अनुसरण करते हुए उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश जारी करने का निर्णय लिया गया था। यह भी उल्लेख किया गया था कि उन्हें यह निर्देश दिया गया था कि यदि नियुक्ति तत्काल नहीं की गई तो उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू की जाएगी।
- 14.5. तदनुसार, अपीलार्थी ने मई से जून 2003 की अवधि के दौरान बेसिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 521 पदों पर नियुक्तियाँ कीं।
- 14.6. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी ने उ.प्र. राज्य के लिए मुख्य स्थायी अधिवक्ता की परामर्श मांगी।

दिनांक 01.05.2003 को पत्र के माध्यम से मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया कि दिनांक 10.04.2003 को सरकार का आदेश सामान्य प्रकृति में था। अपीलार्थी को सरकार की सहमति से निर्णय लेने का परामर्श दिया गया था चूँकि ऐसे मामलों के सदृश राज्य प्रभावित हो सकते हैं।

[&]quot;क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंघत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

- 14.7. अपीलार्थी ने सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद को दिनांक 06.05.2003 को एक अन्य पत्र से संबोधित किया, जिसमें इन निर्देशों का माँगा जाना था कि क्या उच्च न्यायालय के आदेशों /निर्देशों के अनुसार B.Ed./L.T./B.PEd./C.P.Ed की उच्च योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति की जा सकती है।
- 14.8. सचिव बेसिक शिक्षा ने आदेश दिनांक 28.05.2003 के माध्यम से सभी प्रभागीय सहायक निदेशक (बेसिक शिक्षा) को निर्देशित किया कि शिक्षकों के पद पर उम्मीदवारों की नियुक्तियाँ केवल उन्हीं मामलों में किया जाए, जिनमें अंतिम /अंतरिम आदेश दिनांक 02.06.2003 को उच्च न्यायालय द्वारा द्वारा पारित किए गए थे।
- 14.9. अपीलार्थी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंड पीठ के एक पूर्व निर्णय विशेष अपील संख्या 21(एसबी)/1993 में भरोसा रखा। उच्च न्यायालय ने फिरोज आलम खान बनाम उ.प्र. राज्य एवं अन्य 1986 UP LBC 674 के मामले में पूर्व के एक निर्णय पर संज्ञान लिया जिसमें यह निर्देशित किया गया था कि यदि बेसिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पर्याप्त संख्या में बी.टी.सी. प्रशिक्षित उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे, जो उम्मीदवार नियुक्ति के लिए योग्य हैं जैसा कि विज्ञापन में कहा गया था, उन्हें नियुक्त किया जा सकता है।

उस मामले में उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के निर्णय को मो. रियाज़ुल उस्मान घनी एवं अन्य बनाम जिला और सत्र न्यायाधीश, नागपुर को संदर्भित किया था। जिसमें निम्नानुसार अवधारित किया गया था:

[&]quot;क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

"21. कोई मानदंड जो किसी अभ्यर्थी को किसी पद के लिए इस सिद्धांत पर उसके अधिकारों को विचारित किये जाने का निषेधात्मक प्रभाव रखता है यह कि अभ्यर्थी के पास विहित योग्यता से अधिक उच्च योग्यता रखता है, जो तर्कसंगत नहीं हो सकता है। हम इस बात की सराहना नहीं कर पा रहे हैं कि जिन उम्मीदवारों के पास एससीसी परीक्षा के समकक्ष योग्यता थी, उन पर भी विचार नहीं किया जा सकता है। हम तात्कालिक मामले के तथ्यों पर यह कह रहे हैं और इसे सार्वभौमिक आवेदन के नियम के रूप में प्रतिपादित नहीं किया जाना चाहिए।"

(प्रभाव वर्धित)

15. हमने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (टीचर्स) सेवा नियमावली, 1981 का परिशीलन किया है, जिसमें उ.प्र. में बेसिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रतिपादित है।

नियम 2 का उप-नियम (1)(बी) "सक्षम प्राधिकारी" को परिभाषित करता है जिसके अन्तर्गतः

"(ख) नियम 3 में निर्दिष्ट शिक्षकों के संबंध में 'नियुक्ति प्राधिकरण' का अर्थ है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी"

नियम 8 सहायक शिक्षकों के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करता है:

"8. शैक्षणिक योग्यताएँ - (1) खंड(क) में निर्दिष्ट पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की आवश्यक योग्यता:

पद

शैक्षणिक योग्यताएँ

(ii) जूनियर बेसिक स्कूलों के सहायक अध्यापक और

सहायक अध्यापिका

भारत में विधि द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक उपाधि के साथ एक समकक्ष शिक्षक के रूप में एक बुनियादी शिक्षक प्रमाणपत्र, विशिष्ट बेसिक टीचर्स प्रमाणपत्र, जूनियर शिक्षक प्रमाणपत्र, शिक्षण

<u> उद्घोषणा</u>

.

प्रमाणपत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के समकक्ष

नियम 16 में इन नियमों के तहत किसी भी पद पर नियुक्ति करने के लिए चयन समिति के गठन का प्रावधान प्रदान किया गया है:

"16. चयन समिति का गठन – इन नियमों के तहत किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए, एक चयन समिति का गठन करना होगा –

क) प्रिंसिपल, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान – चेयरमैन

ख) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी - सदस्य-सचिव

ग) जिला मुख्यालय में शासकीय कन्या इंटर - सदस्य कॉलेज के प्रिंसिपल

घ) जिला गैर-औपचारिक शिक्षा अधिकारी - सदस्य

ड़)

च) हिंदू, उर्दू या अन्य भाषाओं में एक विशेषज्ञ, – सदस्य जिलाधिकारी द्वारा नामित जैसा भी मामला हो

नियम 19(3) में चयन समिति की अनुशंसा के अतिरिक्त कोई नियुक्ति न किया जाना प्रावधानित है।

"19. नियुक्ति –

...

(3) चयन समिति की अनुशंसा के अतिरिक्त एवं तहसीलदार द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करने को छोड़कर सीधी भर्ती के मामले में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी।"

(प्रभाव वर्धित)

16. पूर्वोक्त नियमों के परिशीलन से पता चलता है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के रूप में अपीलार्थी होने के नाते, प्रतिपादित उपरोक्त नियम 16 एवं 19(3) के विचार के द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को केवल चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर अनुसार नियुक्तियाँ करने का अधिकार दिया गया था।

<u> उद्घोषणा</u>

यह प्रत्यर्थी-राज्य का मामला है कि अपीलार्थी ने 1981 नियमों का पालन किए बिना नियुक्तियां की। राज्य द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसकी अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पूर्णतः जांच में दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होगी। यह ध्यान रखना उचित है कि इन सभी नियुक्तियों को राज्य द्वारा प्रारम्भतः शून्य घोषित किया गया था, जैसा कि अपीलार्थी के प्रत्युत्तर दिनांक 04.12.2012 के दूसरे कारण बताओं नोटिस में उल्लेख किया गया था।

अपीलार्थी की यह दलील कि नियुक्तियां उच्च न्यायालय द्वारा पारित पहले के आदेश के अनुपालन में की गई थीं, और वरिष्ठ पदाधिकारियों के निर्देशों के तहत, जांच में विचार किए जाने की आवश्यकता होगी।

17. हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए आक्षेपित निर्णय को अनुशासनात्मक प्राधिकारी के मामले को छूट देने के लिए बरकरार रखते हैं, जो आरोप पत्र के चरण से आयोजित किया जाएगा। अनुशासनात्मक प्राधिकारी अपीलार्थी को सुनवाई का पूरा अवसर देने के बाद प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार जांच का संचालन करेगा, जिसे मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य दोनों को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी। पक्षों को कोई अनावश्यक स्थगन नहीं दिया जाएगा।

जांच की अवधि के दौरान अपीलार्थी का निलंबन जारी रहेगा। जांच को 4 माह की अवधि के अन्दर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।

हम आक्षेपित निर्णय को इस सीमा तक संशोधित करते हैं कि जांच अधिकारी मुख्य सचिव द्वारा नियुक्त किया जाए।

<u> उद्घोषणा</u>

इस आदेश की एक प्रति मुख्य सचिव को प्रेषित कर दी जाए। यह स्पष्ट किया जाता है कि मामले के गुण-दोष पर किसी भी राय की कोई अभिव्यक्ति नहीं है।

सिविल अपील खारिज की जाती है। लंबित आवेदन को, यदि कोई हो, तदनुसार निस्तारित किए जाते हैं। तदनुसार आदेश दिया गया।

(न्यायमूर्ति, एस. अब्दुल नजीर	
(न्यायमूर्ति, इंदु मल्होत्र	

नई दिल्ली; 3 मार्च, 2020

<u> उद्घोषणा</u>